प्रशासकीय मान्यता बारामती, जि.पुणे येथे नवीन न्यायालयीन इमारत (बेसमेंट+ स्टील्ट+ ९ मजले) (१२ कोर्ट हॉल) बांधकामाबाबत.

महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- सीसीबी - ११२४/प्र.क्र.९८/का-१३ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०२५

पहा:-

मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्यू) ६०४६/१९९०(१३६)/१०७/२०२५, दिनांक १४ जानेवारी,२०२५ रोजीचे पत्र.

प्रस्तावना :-

बारामती, जिल्हा पुणे येथे नवीन न्यायालयीन इमारत (बेसमेंट+स्टील्ट+९मजले) (१२ कोर्ट हॉल) बांधकामाबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

बारामती, जिल्हा पुणे येथे नवीन न्यायालयीन इमारत (बेसमेंट+स्टील्ट+९मजले) (१२ कोर्ट हॉल) बांधण्याकरीता रु. ७२.१६ कोटी (बहात्तर कोटी सोळा लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (सोबत जोडलेल्या Recapitulation Sheet नुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

- २. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :-
 - 9) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे.
 - २) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात.

- तथोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.
- ४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी.
- ५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी.
- ६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- ७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, दिनांक ७ जुलै, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
- ८) सदर कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही या दृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी.
- ९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल करु नये.
- 90) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत.
- 99) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास याबाबत लेखी आदेश प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
- ३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच ८,४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१, कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम कार्यक्रमांतर्गत (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना राज्य हिस्सा) (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायादान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा) (२१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये.
- 8. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०/२०२४/ इमा-२, दिनांक २१ जानेवारी, २०२५ आणि मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील, उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दिनांक २९ जानेवारी, २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद

- क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत.
- ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०२१८१४४०१४६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(विलास वसंत गायकवाड) विधि सल्लागार -नि सह- सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई.
- २) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई.
- ३) मा. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई.
- ४) मा. प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई.
- ५) मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,पुणे
- ६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर,
- ७) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे
- ८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,पुणे
- ९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विशेष प्रकल्प) विभाग, पुणे (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह)
- १०) सहाय्यक अभियंता श्रेणी १, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, बारामती, पुणे
- ११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे
- १२) कक्ष अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १३) कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १४) कक्ष अधिकारी (का-१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १५) अपर आयुक्त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२.
- १६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १८)निवड नस्ती/संग्रहार्थ.

9

Name of the Department : Law & Judiciary Department

Name of Work: Proposed Additional Court Building (12 Court Halls) at Baramati Dist-Pune.

Executing Agency : Public Works Department

Land Availability: Yes

Architect : Private (Approved by Dy. Chief Architect, Pune.

| | RECA | APITULATIO | | | | |
|------------|--|-------------|---|--------------|-------------------|----------|
| Sr. No. | Particulars of Scope | | Unit Rate Norms Rs Per (Sqmt./ Meter/ LumpSum etc.) | | Cost in Lakhs | |
| NO. | | | | | Component Wise | Total |
| (A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) | | | | 1,100 | |
| 1 | Building proper (Built Up Area - Sq.m) | | | | | |
| | Ground Floor | 229.38 | Sq. M | 28,000 | 64.23 | |
| | First Floor | 1697.86 | Sq. M | 28,000 | 475.40 | |
| | Second Floor | 1562.99 | Sq. M | 28,000 | 437.64 | |
| | Third Floor | 1562.99 | Sq. M | 28,000 | 437.64 | |
| | Fourth Floor | 1562.99 | | 28,000 | 437.64 | |
| | Fifth Floor | 1562.99 | | 28,000 | 437.64 | |
| | Sixth Floor | 1443.35 | | 28,000 | 404.14 | |
| | Seventh Floor | 1562.99 | | 28,000 | 437.64 | |
| | Eighth Floor | 1562.99 | | 28,000 | 437.64 | |
| | Nineth Floor | 1562.99 | | 28,000 | 437.64 | |
| | Total B.U.A. = | 14311.52 | | | Sub Total (A1) | 4,00 |
| 2 | Electrification | Internal | oq. III | 5% of (A1) | 200.36 | 4,00 |
| | | External | | 6% of (A1) | 240.43 | |
| | Fire Fighting Arrangements etc. | | | @800/Sq.mt. | 114.49 | |
| | Lifts | 6 | | 25,00,000 | 150.00 | |
| | Air Conditioning (14311.52x20%x1/9=318.9) | 318.9 | | 30,000 | 95.67 | |
| | Pump house, bore well etc CCTV | | | L.S. | 50.00 | |
| | AB room, Area Lighting, Pumps, Generator | | | L.S. | 15.00 | |
| | AB 100H, Area Lighting, Pumps, Generator | | | L.S. | 25.00 | |
| 3 | Water Supply & Society Wayles | | | | Sub Total (2) | 890.9 |
| - | Water Supply & Sanitary Works | | 5% of (A1 | | Sub Total (3) | 200.3 |
| 4 | Furniture | 10018.06 | Sq. M | 5,000 | Sub Total (4) | 500.90 |
| (D) | MISCELL ANEQUICITEMS | | | | Sub Total (A) | 5,599.4 |
| (B) | MISCELLANEOUS ITEMS | 400000 | | | | |
| | Water Main Storage | 100000 | Litres | 23 | 23.00 | |
| - | | | | | Sub Total (B) | 23.00 |
| () | PROVISIONS | | | Project Cost | (P)= (A) + (B) | 5,622.45 |
| (C) | | | | | | |
| | (ii) GST 18% on (P) | | | | 160.29 | |
| | (iii) Price Escalation 5% on (P) | | | | 1,012.04 | |
| | (iv) PMC Charges 1.5% on (P) (Including GST) | | | | 281.12 | |
| | (v) Labour Insurance 1% on (P) | | | | 84.34 | |
| | (v) Labour insurance | 170 OII (F) | | | 56.22 | 4 504 0 |
| T | TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) | | | | Sub Total (C) | 1,594.0 |
| | Say Rs. Crores 72.16 | | | | | 7,216.4 |
| | | | 36 | y No. Ololes | 72.16 | |
| 1 | Bldg Civil (A1) | | = Rs | 28,000 | | |
| 2 | Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) | | = Rs | 39,125 / | | |
| 3 | Total (A+B) | | = Rs | 39,286 / | _ | |

क.अ. (इमा-1) (श्री.रेवाळे)

अ.स. व्हेमा) श्रीम,घोरपडे)

उ.स. (इम्।) (श्री.तेलंग)

0

सचिव (बांधकामे) (श्री.दशपुते)